FAX/E-MAIL

सर्वोच्च प्राथमिकता/समयबद्ध/ आज ही

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
अनुश्रवण प्रकोष्ठ,
लखनऊ।

सेवा में,

1—समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2—समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या—**आर—149** /अनु0प्रको0—मु0मं0समीक्षा—162/2017 दिनांकः **09 अगस्त, 2017**

विषयः— मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 12 अगस्त, 2017 को समीक्षा बैठक के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समस्त मण्डलायुक्तगण के साथ **दिनांक 12 अगस्त, 2017 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से 2.00 बजे तक योजना भवन में** आयोजित होने वाली बैठक में राजस्व विभाग के निम्नलिखित एजेण्डा बिन्दुओं पर समीक्षा की जायेगी। इस समीक्षा बैठक हेतु अन्य बिन्दुओं के साथ राजस्व विभाग से संबंधित निम्नलिखित प्रारूप निर्धारित किये गये हैं:—

1— कर एवं करेत्तर राजस्व संग्रह (प्रपत्र संख्या—13)

2— भू—माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही (प्रपत्र संख्या—14)

3— राजस्व वादों का निस्तारण (प्रपत्र संख्या—15)

4— लोकवाणी/जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से जारी होने वाली राजस्व विभाग के सेवाओं की स्थिति (प्रपत्र संख्या—16)

5— तहसील समाधान दिवस (प्रपत्र संख्या—18)

उक्त बिन्दुओं से सम्बन्धित प्रारूपों को राजस्व परिषद के रेवेन्यू साफ्ट पर cm/cs review proforma नाम से विकसित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि—

1—कर एवं करेत्तर की **दिनांक 31 जुलाई, 2017 तक** की सूचना राजस्व परिषद के **रेवेन्यू साफ्ट** पर जिलाधिकारियों द्वारा फीड की जायेंगी,

2–एन्टी भू–माफियों के विरूद्ध **दिनांक 31 जुलाई, 2017 तक** की कार्यवाही की सूचना उक्त प्रारूप पर फीड की जायेगी,

3–राजस्व वादों के निस्तारण की **दिनांक 31 जुलाई, 2017 तक** की सूचना आवश्यक रूप से **आर0सी0सी0एम0एस0 प्रणाली** से ही प्राप्त कर फीड की जायेगी,

4–लोकवाणी/जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली राजस्व विभाग के सेवाओं– आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र एवं खतौनी की प्रति जारी करने की स्थिति की **दिनांक 31 जुलाई, 2017 तक की सूचना ''ई–डिस्ट्रिक'' पोर्टल** पर उपलब्ध सूचना के आधार पर ही फीड की जायेगी,

5– ''सम्पूर्ण समाधान दिवस'' (तहसील दिवस) की **दिनांक 31 जुलाई, 2017 तक की** सूचना **आई0जी0आर0एस0 पोर्टल** के तहसील समाधान लिंक के आधार पर ही फीड की जायेगी।

अतः अपेक्षा की जाती है कि जिलाधिकारी सूचना भेजने से पूर्व इस बात की स्वयं पुष्टि कर लें कि उनके द्वारा फीड की जाने वाली सूचनायें पूर्व में रेवेन्यू साफ्ट/पोर्टल पर फीड की गई सूचनाओं से भिन्न न हों।

कृपया उक्त समस्त बिन्दुओं हेतु निर्धारित प्रारूपों पर **दिनांक 31 जुलाई, 2017 तक की सूचना** परिषद के रेवेन्यू साफ्ट में cm/cs review proforma पर **प्रत्येक दशा में दिनांक 10–08–2017 के पूर्वान्ह 11.00 बजे तक फीड कराकर परिषद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें**, जिससे मुख्य सचिव की बैठक हेतु समयान्तर्गत सूचना संकलित कर शासन को उपलब्ध करायी जा सके।

भवदीया,

9/8/17

(लीना जौहरी)
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व विभाग, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

(लीना जौहरी)
आयुक्त एवं सचिव।